न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12 / 84 / 2019

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री दिलीप पांचाल उपाध्यक्ष नवयुवक मण्डल आगर, बस स्टैण्ड के पास मु0पो0 आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 14—10—2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 16.07.2018 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 01.10.19 को उपस्थित होवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1948 दिनांक 1.10.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी का प्रा0पत्र दिनांक 16.7.19 के बिन्दु संख्या 7 के क्रम में प्राप्त सूचना आंशिक अपीलार्थी को पत्रांक 1308—09 दिनांक 7.8.19 से प्रेषित की जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी न्याय प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर द्वारा 02 माह पश्चात् भी किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की है। जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध नही करवाई गई है। साथ प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई जो सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 5 (5) में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। सम्बन्धित कार्मिक से सूचना उपलब्ध करने में हुए विलम्ब का भी स्पस्ट कारण लिया जावें। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार होने योग्य है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 14.10.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलेक्टर,अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)